



प्रेस विज्ञप्ति

31.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने करण दीप सिंह के स्वामित्व वाली पंचकूला स्थित दो अचल संपत्तियों, एल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल, के 127.3 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30/10/2025 को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। यह कुर्की मेसर्स एल्केमिस्ट ग्रुप, उसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबद्ध संस्थाओं से जुड़ी चल रही धन शोधन जाँच का एक हिस्सा है, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप है।

ईडी ने शुरू में कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और उसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसीबी लखनऊ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-ख और 420 के तहत मेसर्स एल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और एल्केमिस्ट समूह के प्रमोटर/निदेशकों, जिनमें कंवर दीप सिंह व अन्य शामिल हैं, के खिलाफ जांच शुरू की।

यह मामला फर्जी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाकर, असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करके, और/या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने के झूठे वादे करके निवेशकों को धोखा देने की एक बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश से संबंधित है। इन भ्रामक निवेश योजनाओं के माध्यम से, मेसर्स एल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और मेसर्स एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने गैर-जिम्मेदार निवेशकों से लगभग 1,848 करोड़ रुपये अवैध रूप से एकत्र किए और बाद में अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया।

ईडी की जांच से पता चला है कि गलत तरीके से की गई धनराशि को एल्केमिस्ट समूह की समूह संस्थाओं से जुड़े जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से स्तरित किया गया था, जिसका उद्देश्य धन की अवैध उत्पत्ति को छिपाना था। इन दूषित आय का उपयोग अंततः शेयरों के अधिग्रहण और उसके बाद एल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया था। इन परिसंपत्तियों को वैध दिखाने के लिए लेनदेन को जानबूझकर संरचित किया गया था, जिससे अपराध की आय (पीओसी) छिपा ली गई। एल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के शेयर क्रमशः 40.93% और 37.23% तक मेसर्स प्लेसिड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, जो श्री कंवर दीप सिंह के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। मेसर्स प्लेसिड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास एल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल की संपत्ति, जिसका मूल्य 127.3 करोड़ रुपये है,

वर्तमान अनंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क की गई है।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने कंवर दीप सिंह को 12.01.2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, ईडी ने 02.03.2021 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की और 19.07.2024 और 11.09.2025 को दो पूरक अभियोजन शिकायतें दायर कीं। ईडी पहले ही छह अलग-अलग अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 365.42 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर चुका है, जिसमें मेसर्स सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली एल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल की क्रमशः 40.94% और 37.24% संपत्ति कुर्क करना शामिल है।

आगे की जांच जारी है।